दा.प्र.क्र.–2466/2023
शासन विरूद्ध छतराम उर्फ भोठी
CNR NO.-CGKB050026602023

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा,
जिला कोरबा (छ.ग.)
पीठासीन अधिकारी – कु. प्रेरणा वर्मा

निर्णय दिनांकः–17.08.2026

प्रकरण क्रमांक–2466/2023

अपराध क्रमांक– 483/2023

आरक्षी केन्द्र –थाना कटघोरा

धारा – आबकारी अधिनियम
की धारा 34(2)

संस्थित दिनांक–11.12.2023

शिकायतकर्ता	छ.ग. राज्य, आरक्षी केन्द्र थाना कटघोरा जिला–कोरबा (छ.ग.)
प्रतिनिधिकर्ता	श्री परमेश्वर ध्रुव ए.डी.पी.ओ ।
	विरूद्ध
अभियुक्त	छतराम उर्फ भोठी, पिता–स्व. भोलाराम बिंझवार, उम्र–55 साल, निवासी–बिंझवारपारा छुरी, थाना कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)
प्रतिनिधिकर्ता	श्री विनय दुबे अधिवक्ता

घटना दिनांक	28.11.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	28.11.2023
अभियोग–पत्र प्रस्तुति दिनांक	11.12.2023
आरोप पत्र विरचित करने की तिथि	18.06.2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	27.10.2025
निर्णय हेतु प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की तिथि	17.08.2026
निर्णय दिनांक	17.08.2026
सजा आदेश की तिथि यदि कोई हो,	निरंक

<u>अभियुक्त का विवरण</u>

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत की तिथि	अपराध का आरोप	दोषमुक्त/दोषसिद्धि	दी गई सजा	धारा 428 द.प्र.सं. के तहत प्रकरण के लंबनकाल के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
1.	छतराम उर्फ भोठी	28.11.2023	04.12.2023	आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)	दोषमुक्त	निरंक	06 दिवस

–: अनुक्रमणिका:–

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	निर्णय का शीर्षक	4
02	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
03	आरोप	4
04	स्वीकृत तथ्य	4
05	अभियोजन की कहानी	4–5
06	साक्षियों का विवरण	5
07	अवधारणीय प्रश्न	7
08	कारण और निष्कर्ष	7–13
09	दण्डादेश	निरंक
10	अभिरक्षा में बिताई गई अवधि एवं मुजरा	13
11	जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण	14
12	प्रतिकर का आदेश	निरंक
13	प्रमाण–पत्र अंतर्गत धारा 428 सी.आर.पी.सी.	15
14	दण्डादेश सुपुर्दगी का वारंट (कारावास या जुर्माना)	निरंक
15	निर्णय की प्रति	14

//नि र्ण य //
(आज दिनांक 17.08.2026 को घोषित)

---

01. **अभियुक्त छतराम उर्फ भोठी** के विरूद्ध **आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)** में यह आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 28.11.2023 को समय 21:25 बजे घटनास्थल बिंझवार मोहल्ला छुरी स्थित अपने घर क्षेत्रांतर्गत थाना कटघोरा जिला कोरबा छ.ग. पर एक सफेद रंग की बोरी के अंदर रखे दो सफेद रंग के दस–दस लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के जरीकेन मे भरा 10–10 लीटर **कुल 20 लीटर कच्ची देशी महुआ शराब** को बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रुप से विक्रय के प्रयोजन हेतु अपने कब्जे में रखने के कारण धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत् दण्डनीय अपराध का अभियोग है।

02. प्रकरण में कोई भी उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 28.11.2023 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि छुरी बिंझवार मोहल्ला में एक व्यक्ति अपने कब्जे में भारी मात्रा में महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है। उक्त् सूचना पर वह गवाह दिलीप साहू व बालेश्वर को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर धारा 160 दं.प्र.सं का नोटिस देकर मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया तथा अभियुक्त के घर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से

कुल 20 लीटर हाथभट्ठी कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया। अभियुक्त को उक्त शराब रखने के संबंध में धारा 91 दं.प्र.सं का नोटिस दिया गया जिस पर अभियुक्त के द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नही करने पर उक्त शराब को जप्त किया गया। गवाहों का कथन लिया गया नजरी नक्शा तैयार किया गया। अभियुक्त का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना सबूत पाये जाने से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा जप्त शराब को परीक्षण हेतु भेजा गया। संपूर्ण विवेचना से आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का घटित करना सिद्ध पाये जाने से न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, के तहत् आरोप पत्र तैयार कर अभियुक्त को अपराध की विशिष्टियॉ पढ़कर सुनाए समझाए जाने पर अभियुक्त ने जुर्म करना अस्वीकार कर विचारण की मांग किया।

05. **<u>परीक्षित साक्षियों का नमूना चार्ट</u>**

अभियोजन साक्षी क्र.	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
1	दिलीप	स्वतंत्र साक्षी
2	बालेश्वर	स्वतंत्र साक्षी
3	सुकांत पांडे	आबकारी उपनिरीक्षक
4	कुवर साय पैकरा	अन्वेषण अधिकारी

06. <u>प्रदर्शित अभियोजन साक्षियों के दस्तावेजों का नमूना चार्ट</u>

प्रदर्श पी	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा प्रमाणित
1	मुखबिर सूचना पंचनामा	अ.सा.क्र.–01, 02 व 04
2	धारा 160 दं.प्र.सं की नोटिस	अ.सा.क्र.–01, 02 व 04
3	तलाशी वारंट प्राप्त न होने बाबत पंचनामा	अ.सा.क्र.–01, 02 व 04
4	पुलिस पार्टी एवं गवाहों का तलाशी पंचनामा	अ.सा.क्र.–01, 02 व 04
5	सहमति पत्र	अ.सा.क्र.–01, 02 व 04
6	मकान/सामान/व्यक्ति की तलाशी पंचनामा	अ.सा.क्र.–01, 02 व 04
7	तलाशी बरामदगी पंचनामा	अ.सा.क्र.–01, 02 व 04
8	पहचान पंचनामा	अ.सा.क्र.–01, 02 व 04
9	धारा 91 दं.प्र.सं की नोटिस	अ.सा.क्र.–01, 02 व 04
10	जप्तीपत्रक	अ.सा.क्र.–01, 02 व 04
11	नमूनासील पंचनामा	अ.सा.क्र.–01, 02 व 04
12	गिरफतारी पत्रक	अ.सा.क्र.–01, 02 व 04
13	मदिरा परीक्षण रिपोर्ट	अ.सा.क्र.–03
14	गिरफतारी की सूचना	अ.सा.क्र.–04
15	देहाती नालसी	अ.सा.क्र.–04
16	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अ.सा.क्र.–04
17	घटनास्थल का नजरीनक्शा	अ.सा.क्र.–04
18	आबकारी उपनिरीक्षक कटघोरा को भेजा गया प्रतिवेदन	अ.सा.क्र.–04

07. अभियुक्त का दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर, उसने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया

जाना व्यक्त करते हुए, बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया जाना व्यक्त किया।

08. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न अवधारणीय प्रश्न हैं:–

क्या **अभियुक्त छतराम उर्फ भोठी** ने दिनांक 28.11.2023 को समय 21:25 बजे घटनास्थल बिंझवार मोहल्ला छुरी स्थित अपने घर क्षेत्रांतर्गत थाना कटघोरा जिला कोरबा छ.ग. पर एक सफेद रंग की बोरी के अंदर रखे दो सफेद रंग के दस–दस लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के जरीकेन मे भरा 10–10 लीटर **कुल 20 लीटर कच्ची देशी महुआ शराब** को बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रुप से विक्रय के प्रयोजन हेतु अपने कब्जे में रखा ?

–:विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष:–

---

09. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अभियोजन के उपर है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होगा। अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में परीक्षित कराये गए **अन्वेषण अधिकारी कुवर साय पैकरा (अ.सा.क्र.–04)** ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि वह दिनांक 28.11.2023 को हमराह स्टाफ के साथ अवैध शराब बिक्री की कार्यवाही हेतु छुरी तरफ रवाना हुये थे कि मुखबिर से

सूचना मिली कि बिंझवार मोहल्ला छुरी मे छतराम बिंझवार उर्फ भोठी भारी मात्रा में अवैध शराब बिक्री कर रहा है । उक्त सूचना पर गवाह दिलीप साहू व बालेश्वर केंवट को 160 दं.प्र.सं का नोटिस **प्रदर्श पी–01** देकर मुखबिर सूचना पंचनामा **प्रदर्श पी–02** तैयार किया गया जो है । इसी साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा मौकास्थल पहुंचकर तलाशी वारंट प्राप्त न होने बाबत पंचनामा **प्रदर्श पी–03** तैयार किया गया तथा तलाशी पंचनामा लेने वाले पुलिस पार्टी एवं गवाहों का पंचनामा **प्रदर्श पी–04** तैयार कर तलाशी हेतु सहमति पत्र **प्रदर्श पी–05** तैयार किया गया। व्यक्ति/मकान/सामान की तलाशी पंचनामा **प्रदर्श पी–06** तैयार किया गया। मौके पर मुखबिर के बताये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया तथा जहां के कब्जे से सफेद रंग की बोरी के अंदर एक दस लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरा हुआ 10 लीटर एवं एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरीकेन में भरा हुआ 10 लीटर कुल 20 लीटर हाथभट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं शराब बिक्री रकम 250/–रूपये बरामद कर तलाशी बरामदगी पंचनामा **प्रदर्श पी–07** तैयार किया गया एवं पहचान पंचनामा **प्रदर्श पी–08** है ।

10. इस साक्षी द्वारा आगे यह कथन किया गया है कि अभियुक्त को शराब रखने के संबंध में धारा 91 द.प्र.सं. का नोटिस **प्र.पी.–09** दिया। अभियुक्त के द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नही करने पर उसके कब्जे से कुल

20 लीटर हाथभट्ठी कच्ची महुआ शराब को मौके पर सीलबंद कर जप्ती पत्रक **प्र.पी.–10** के अनुसार जप्त किया तथा मौके पर नमूनासील पंचनामा **प्रदर्श पी–11** तैयार कर गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने पर उसे गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक **प्र.पी.–12** के अनुसार गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना **प्रदर्श पी–14** तैयार किया गया।

11. इस साक्षी द्वारा आगे यह कथन किया गया है कि मौके पर गवाह के बताये अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा **प्र.पी.–17** तैयार किया। मौके पर ही अभियुक्त छतराम के विरूद्ध अपराध क्रमांक 0/23 धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के तहत देहाती नालसी **प्रदर्श पी–15** तैयार किया गया। थाना वापस आकर थाना के अपराध क्रं. 483/2023, अंतर्गत धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र.पी.–16** दर्ज किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा शराब का परीक्षण कराये जाने हेतु प्रतिवेदन तैयार कर आबकारी उपनिरीक्षक आबकारी वृत्त कटघोरा को जप्तशुदा शराब प्रतिवेदन **प्र.पी.–18** परीक्षण हेतु प्रेषित किया था। परीक्षण रिपोर्ट **प्रदर्श पी–13** प्राप्त होने पर प्रकरण में संलग्न किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

12. प्रकरण में स्वतंत्र **साक्षी दिलीप एवं बालेश्वर (अ.सा.–01 व 02)** ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियोजन के पक्ष का समर्थन नहीं

किया है। अभियोजन के द्वारा साक्षीगण से प्रश्न किए जाने पर साक्षीगण ने अभियुक्त से 20 लीटर शराब जप्ती की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है।

13. **सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुकांत पांडे (अ.सा.–03)** ने मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन **प्र.पी.–13** को प्रमाणित करते हुये यह बताया है कि दिनांक 29.11.2023 को थाना कटघोरा के आरक्षक राजकुमार क्रमांक 809 द्वारा अपराध क्रमांक–482/2023 धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम में प्लास्टिक की बोरी के अंदर 10–10 लीटर वाले प्लास्टिक के जरीकेन में कुल 20 लीटर तरल द्रव्य परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ था, जांच में उक्त द्रव्य को **हाथभट्ठी कच्ची महुआ शराब** होना पाया गया ।

14. प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि दोनो ही स्वतंत्र **साक्षी दिलीप एवं बालेश्वर (अ.सा.–01 व 02)** के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब जप्त किए जाने की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है। जिससे जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है ।

15. वर्तमान प्रकरण में विवेचना अधिकारी **सहायक उपनिरीक्षक कुवरसाय पैकरा (अ.सा.–04)** ने दिनांक 28.11.2023 को अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब जप्त होना बताया है। स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी के घटना स्थल पर उपस्थित होने का सर्वोत्तम दस्तावेज

रोजनामचा सान्हा हो सकता है। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा संलग्न तो किया गया है किन्तु उसे मूल मिलान कर प्रमाणित नही किया गया है जिससे घटना दिनांक को घटना स्थल पर विवेचना अधिकारी की उपस्थिति संदेहास्पद होती है ।

16. साथ ही यह उल्लेखनीय है कि उक्त जप्तशुदा द्रव्य अभियुक्त के कब्जे से **प्र.पी–17** के अनुसार घटनास्थल बिंझवार मोहल्ला छुरी अभियुक्त के मकान से जप्त किया जाना दर्शित है किन्तु उक्त स्थान के स्वामित्व के संबंध में अन्वेषण अधिकारी द्वारा कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटनास्थल के नजरी नक्शा **प्र.पी–17** से यह भी स्पष्ट है कि घटनास्थल अभियुक्त का निवास स्थान है, जहां अन्य कई मकान हैं। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में मालखाना रजिस्टर की सत्यापित प्रति संलग्न तो किया गया है किंतु उसे मूल से मिलान कर प्रमाणित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि उक्त् स्थान पर अभियुक्त के अलावा अन्य किसी व्यक्ति की पहुंच नहीं थी अर्थात अभियुक्त् का एकल आधिपत्य रहा हो।

17. उल्लेखनीय है कि अनुसंधान अधिकारी **अन्वेषण अधिकारी कुवर साय पैकरा (अ.सा.क्र.–04)** द्वारा इस प्रकरण में जप्तीकर्ता अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, के रूप में संपूर्ण कार्यवाही की गई है। जब एक ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा संपूर्ण कार्यवाही की जाये और ऐसी कार्यवाही

अधूरी व संदिग्ध हो तब उनकी एकल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी नही ठहराया जा सकता ।

18. यह उल्लेखनीय है कि जप्ती पत्रक **प्र.पी.–10** से दर्शित है कि जप्ती दिनांक 28.11.2023 की है, तथा जप्तशुदा द्रव्य को **प्र.पी.–10** के अनुसार परीक्षण हेतु तहरीर दिनांक 29.11.2023 की है। आबकारी उपनिरीक्षक के मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन **प्र.पी.–13** के अनुसार उक्त तरल द्रव्य को दिनांक 29.11.2023 को परीक्षण हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात जॉच उपरान्त मदिरा परीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार किया है। ऐसी स्थिति मे शराब जप्ती दिनांक 28.11.2023 के पश्चात से जॉच रिपोर्ट दिनांक 29.11.2023 के मध्य उक्त जप्त तरल द्रव्य कहां रखा गया, कब परीक्षण के लिए निकालकर भेजा गया और परीक्षण के पश्चात् पुनः मालखाने मे कब रखा गया। इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रकरण में मौजूद नहीं है, जिससे प्रकरण की विवेचना में संदेह उत्पन्न होता है।

19. मालखाने के संपत्ति निकासी के संबंध में कोई प्रमाणिक साक्ष्य अभिलेख मे उपलब्ध नही है। मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन की सत्यता भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रही है। संपूर्ण शराब को पेश नही किया गया। जप्ती की कार्यवाही स्वतंत्र साक्षियो के साक्ष्य से समर्थित नही है, साथ ही किसी भी साक्षी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी अवैध रुप से शराब बिक्री करने हेतु अपने कब्जे में रखा

पाया गया। जिससे अभियोजन का यह संपूर्ण प्रकरण संदेह की परिधि में होना पाया जाता है।

20. तदानुसार उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि **अभियुक्त छतराम उर्फ भोठी** ने दिनांक 28.11.2023 को समय 21:25 बजे घटनास्थल बिंझवार मोहल्ला छुरी स्थित अपने घर क्षेत्रांतर्गत थाना कटघोरा जिला कोरबा छ.ग. पर एक सफेद रंग की बोरी के अंदर रखे दो सफेद रंग के दस–दस लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के जरीकेन मे भरा 10–10 लीटर **कुल 20 लीटर कच्ची देशी महुआ शराब** को बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रुप से विक्रय करते पाया गया ।

21. अस्तु **अभियुक्त छतराम उर्फ भोठी** को धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

22. अभियुक्त द्वारा धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा। अतः धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत जमानत एवं मुचलके के अतिरिक्त अन्य सभी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

23. अभियुक्त के द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि 06 दिवस है। इस संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधान के तहत् पृथक से तालिका निर्मित की गई है जो कि निर्णय का भाग मानी जावेगी।

24. प्रकरण में जप्तशुदा एक सफेद रंग की बोरी के अंदर रखे दो सफेद रंग के दस–दस लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के जरीकेन मे भरा 10–10 लीटर **कुल 20 लीटर कच्ची देशी महुआ शराब** (शराब गंधयुक्त दो नग खाली बॉटल व जरीकेन सहित) मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे एवं शेष जप्तशुदा शराब बिक्री रकम 250/–रूपये शासन के पक्ष में राजसात किया जाये। अपील होने की दशा में उक्त सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जावे।

25. अभियोजन को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

26. प्रकरण समाप्त। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि के भीतर अभिलेखागार में जमा किया जावे।

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।	**मेरे निर्देशन में टंकित कर घोषित किया गया**
PRERANA VERMA Digitally signed by PRERANA VERMA	PRERANA VERMA Digitally signed by PRERANA VERMA
(कु. प्रेरणा वर्मा)	**(कु. प्रेरणा वर्मा)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**
कटघोरा जिला कोरबा (छ.ग.)	**कटघोरा जिला कोरबा (छ.ग.)**

धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समायोजन का प्रमाण पत्र

अभियुक्त का नाम	**छतराम उर्फ भोठी**
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि (अ)	
अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	28.11.2023
न्यायालय में पेश करने की तिथि	29.11.2023
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि	01 दिवस
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि (ब)	
न्यायालय में पेश करने की तिथि	29.11.2023
जमानत पर रिहा करने की तिथि	04.12.2023
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि	05 दिवस
अभियुक्त के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी कुल अवधि, जिसका समायोजन किया जाना है: (अ) + (ब)	
06 दिवस	

PRERANA VERMA
Digitally signed by PRERANA VERMA

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)